

न्यायालय नायब तहसीलदार पीलवा (नागौर) राजस्थान

प्रार्थी राज.सरकार जरिये पटवारी हल्का शनायाद
बनाम
अप्रार्थी - श्री मेघाराम मेधपाल निवासी शनायाद अन्तर्गत धारा 91 भू-राजस्व
अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या 53/2018

निर्णय

दिनांक

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का शनायाद ने अप्रार्थी के विरुद्ध टी.पी.रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी द्वारा सवत् 2075 में सरहद घोलेया के खसरा नम्बर 182 में किराने का.५ में रकबा 0.03 ई. बीघा भूमि में जस बभैया कर अतिक्रमण किया है। जिस पर वाद धारा 91 एल आर एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते वजह सद्वत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी मेघाराम से नोटिस तामिल होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी की तरफ से अधिवक्ता श्री ने दिनांक को उपस्थित होकर प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली व पत्रावली पर उमलदा दरतावेजातो एवं हल्का पटवारी की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी का नाम घोलेया के खसरा नम्बर 182 किराने में का.५ में रकबा 0.03 ई. बीघा की भूमि पर अतिक्रमण किया जाना वर्तमान में सिद्ध होना पाये जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः अप्रार्थी द्वारा उक्त अतिक्रमित भूमि पर किये गये अतिक्रमण को मौके से वेदखल करने का आदेश पारित किया जाता है। लगान दर 3 रुपये प्रति बीघा की दर से अतिक्रमित रकबा 0.03 ई. बीघा भूमि के 0.09 रुपये लगान का 50 गुणा 5/- अक्षरे रुपये दत्तार जुर्माना दण्डित किया जाता है। जुर्माना की राशि तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी हल्का को माग कायमी कर वसूली हेतु लिखा जाये। पटवारी हल्का को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी को मौके से भौतिक रूप से वेदखल कर पालन रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 16.8.18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

नायब तहसीलदार पीलवा